न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र : 256/2018 जी.सी.एम.एस. : 2018/00327

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
जितेन्द्र कुमारी पत्नी श्यामसिंह जाति राजपूत निवासी सिरियारी तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली राजस्थान		1. सीतादेवी उर्फ सायरीदेवी पुत्री रूपनाथ पत्नी किशननाथ जाति नाथ निवासी सिरियारी तहसील मारवाड़ जंक्शन हाल अनासागर किशनगंज रेमबूल रोड अजमेर 2. सुखी देवी पुत्री स्व. रूपनाथ पत्नी मोहननाथ जाति नाथ निवासी सिरियारी तहसील मारवाड़ जंक्शन हाल निवासी मोड भट्टा सोजत सिटी 3. भंवरनाथ पुत्र स्व. रूपनाथ जाति नाथ निवासी सिरियारी 4. पारसनाथ पुत्र स्व. रूपनाथ जाति नाथ निवासी सिरियारी हाल निवासी ईदगाइ रोड वैशाली नगर के पास पट्टी की टाल अजमेर 5. जेठुनाथ पुत्र स्व. रूपनाथ जाति नाथ निवासी सिरियारी हाल निवासी 1 ए–2 पुलिस कॉलोनी पुलिस थाना नेताजी सुभाष पैलेस, नई दिल्ली 6. सोहननाथ पुत्र स्व. रूपनाथ जाति नाथ निवासी सिरियारी हाल निवासी रावला बेरा मगरा पूंजला माता का थाना जोधपुर 7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) मारवाड़ जंक्शन 8. नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र : 286/2018 जी.सी.एम.एस. : 2018/00420

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
श्रीती सुशीला पत्नी वेनाराम परिहार, जाति घांची, निवासी पड़ासला खुर्द, तहसील पाली जिला पाली		1. सीतादेवी उर्फ सायरीदेवी पुत्री रूपनाथ पत्नी किशननाथ जाति नाथ निवासी सिरियारी तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली हाल निवासी अनासागर किशनगंज रेमबूल रोड अजमेर 2. सुखी देवी पुत्री स्व. रूपनाथ पत्नी मोहननाथ जाति नाथ निवासी सिरियारी तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली हाल निवासी मोड भट्टा सोजत सिटी जिला पाली 3. भंवरनाथ पुत्र स्व. रूपनाथ जाति नाथ निवासी सिरियारी तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली 4. पारसनाथ पुत्र स्व. रूपनाथ जाति नाथ निवासी सिरियारी हाल निवासी ईदगाइ रोड वैशाली नगर के पास पट्टी की टाल अजमेर 5. जेठुनाथ पुत्र स्व. रूपनाथ जाति नाथ निवासी सिरियारी हाल निवासी 1 ए–2 पुलिस कॉलोनी पुलिस थाना नेताजी सुभाष पैलेस, नई दिल्ली 6. सोहननाथ पुत्र स्व. रूपनाथ जाति नाथ निवासी सिरियारी हाल निवासी रावला बेरा मगरा पूंजला माता का थाना जोधपुर 7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) मारवाड़ जंक्शन 8. नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र : 287/2018 जी.सी.एम.एस. : 2018/00421

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
शांति पत्नी हेमाराम परिहार, जाति घांची निवासी पड़ासला खुर्द, तहसील पाली जिला पाली		1. सीतादेवी उर्फ सायरीदेवी पुत्री रूपनाथ पत्नी किशननाथ जाति नाथ निवासी सिरियारी तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली हाल निवासी अनासागर किशनगंज रेमबूल रोड अजमेर 2. सुखी देवी पुत्री स्व. रूपनाथ पत्नी मोहननाथ जाति नाथ निवासी सिरियारी तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली हाल निवासी मोड भट्टा सोजत सिटी जिला पाली 3. भंवरनाथ पुत्र स्व. रूपनाथ जाति नाथ निवासी सिरियारी तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली 4. पारसनाथ पुत्र स्व. रूपनाथ जाति नाथ निवासी सिरियारी हाल निवासी ईदगाइ रोड वैशाली नगर के पास पट्टी की टाल अजमेर 5. जेठुनाथ पुत्र स्व. रूपनाथ जाति नाथ निवासी सिरियारी हाल निवासी 1 ए–2 पुलिस कॉलोनी पुलिस थाना नेताजी सुभाष पैलेस, नई दिल्ली 6. सोहननाथ पुत्र स्व. रूपनाथ जाति नाथ निवासी सिरियारी हाल निवासी रावला बेरा मगरा पूंजला माता का थाना जोधपुर 7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) मारवाड़ जंक्शन 8. नायब तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान भू राजस्व अधिनियिम 1956

उपस्थित :–
प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री आशुतोष दवे एवं श्री रामलाल भाटी
अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता मो. शरीफ काजी

–: निर्णय :–

दिनांकः– 02/08/2021

प्राथीगण की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने उपरोक्त तीनों पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय की अपील संख्या 40/2014 अनवान सीतादेवी वगैरा बनाम भंवरनाथ वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 17.04.2015 को पुनर्विलोकित कराने हेतु प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश की, जिन्हें सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं मूल पत्रावली तलब की गई। चूंकि तीनों प्रार्थना पत्र एक ही निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत होने से तथा एक ही आराजी के संबंध में होने से तीनो प्रार्थना पत्रों को समेकित किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 सीतादेवी व अप्रार्थी संख्या 2 सुखी देवी ने इस न्यायालय में तथ्यों को छुपाते हुए उनके पिता रूपनाथ के फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 229 स्वकृत दिनांक 31.05.1981 के विरूद्ध राजस्व अपील संख्या 40/2014 न्यायालय में पेश की, जिसमें न्यायालय द्वारा दिनांक 17.04.2015 को म्याद के बिन्दु को निस्तारित किए बिना ही निर्णय पारित किया। जिसमें नामान्तरकरण संख्या 229 को निरस्त किया गया तथा प्रकरण तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि वे अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्टगण को सुनवाई का समुचित अवसर देकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। जैर अपील आराजी ग्राम सिरियारी तहसील खारची के खसरा नम्बर 282, 283, 696, 697, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 814, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824 व 825 कुल 25 खसरें स्व. रूपनाथ एवं शम्भु वल्द सुराजी राईका के 1/2, 1/2 खातेदारी की भूमि स्थित

अति. जिला कलेक्टर, पाली

थी, उक्त जमीन का दोनों के मध्य बंटवाडा हो गया था। जिसके अनुसार भंवरनाथ, मिठुनाथ व पारसनाथ वगैरा के खसरा नम्बर 696, 697, 798, 799, 801, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824 व 825 की आई थी। उक्त भूमि का रूपनाथ ने विक्रय कर अपने जीवनकाल में ही प्रतिफल प्राप्त कर लिया था एवं कर्ताखानदान ने उक्त भूमि के बेचाणनामे निस्पादन कर पंजीयन करवाये, जिससे इनका कोई हक–हिस्सा नहीं रह जाता है। उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 696 व 697 की भूमि मोहन पुत्र भैरा एवं राजु पुत्र घीसा द्वारा क्रय करने से उनके नाम नामान्तरकरण संख्या 316 दिनांक 27.02.1984 को भरा गया तथा मोहन पुत्र भैरा से उक्त भूमि प्रार्थिया श्रीमती जितेन्द्र कुमारी पत्नी श्यामसिंह के नाम रजिस्टर्ड बेचाननामे से क्रय कर ली तथा जिसका नामान्तरकरण 931 दर्ज किया गया। इसी प्रकार खसरा नम्बर 798 व 799 प्रार्थिया श्रीमती सुशीला पत्नी वेनाराम द्वारा दिनांक 04.10.2020 को देवी सिंह पुत्र मदनसिंह द्वारा क्रय की गई, जिसका नामान्तरकरण संख्या 317 दर्ज किया गया एवं खसरा नम्बर 792, 793, 794 व 795 को प्रार्थिया श्रीमती शांतिदेवी पत्नी हेमाराम द्वारा भुपेन्द्रसिंह पुत्र ललितसिंह द्वारा क्रय की गई। उपरोक्त आराजी पर तीनों प्रार्थीगण क्रय दिनांक से ही काबिज है। लेकिन जैर अपील संख्या 40/2014 में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्टगण ने आपस में मिल कर न्यायालय के समक्ष सही तथ्यों को छुपाकर न्यायालय को अंधरे में रखते हुए निर्णय दिनांक 17.04.2015 पारित करवा दिया गया, जो काबिल रिव्यू है। अपीलाण्टगण द्वारा उक्त अपील न्यायालय में 33 वर्ष पश्चात पेश की गई, लेकिन न्यायालय ने बिना म्याद के बिन्दु को निर्णित किए, सीधे ही अपील स्वीकार कर निर्णय पारित कर दिया। जो विधि विरूद्ध है। जैर अपील आराजी से पार्थीगण के हक–अधिकार प्रभावित होते है, अतः अपीलाण्टगण को अपील दर्ज कराते समय प्रार्थीगण को भी पक्षकार संयोजित करना चाहिए था। लेकिन अपीलाण्टगण ने ऐसा नहीं कर, न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों के साथ उपस्थित नहीं हुए है। अपीलाण्टगण को यह भलीभांति पता था की उपरोक्त खसरों की भूमि प्रार्थीगण द्वारा क्रय की गई है तथा प्रार्थीगण का ही उक्त भूमि पर कब्जा है तथा काश्त कर रहे है। इसके बावजूद अपीलाण्टगण न्यायालय के समक्ष झुठे तथ्य पेश किए कि जैर अपील आराजी पर उनका कब्जा–काश्त है। प्रार्थीगण को जैर अपील निर्णय दिनांक 17.04.2015 की जानकारी दिनांक 18.05.2018 को होने से दिनांक 23.05.2018 नकलें प्राप्त कर प्रार्थना पत्र पेश किया तथा शेष दोनों प्रार्थीगण को जैर अपील आदेश की जानकारी प्रार्थिया श्रीमती जितेन्द्र कुमारी से दिनांक 29.07.2018 को होने से उन्होंने ने भी नकलें प्राप्त कर प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया। उपरोक्त तीनों प्रार्थना पत्रों को जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमाते हुए, उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील आदेश को पुनर्विलोकित फरमावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने तथ्यों की ताईद में न्यायिक दृष्टान्त **2013(1) DNJ (Raj.) page 233, RRD Sept. 2002 page 536 and RRD Nov. 2002 page 668** पेश किए।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने वक्त बहस कथन किया कि अपील नामान्तरकरण संख्या 229 दिनांक 31.05.1981 के विरूद्ध पेश की गई है, जिसमें प्रार्थीगण पक्षकार नहीं थे, इस कारण उनको पक्षकार संयोजित किया जाना आवश्यक नहीं था। रिव्यू का स्कोप सीमित है, निर्णय में ऐसी स्थिति नहीं है कि उपरी तौर पर देखने मात्र से त्रुटी प्रकट हो। अपील में जहां हक–अधिकारों का प्रश्न होता है, वहां म्याद की बिन्दु लागू नहीं होते है। रिव्यू प्रार्थना पत्र में आदेश पारित होने के तीस दिवसों के भीतर पेश किया जाना चाहिए, लेकिन प्रार्थीगण ने लगभग दो–ढाई वर्षो के पश्चात रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो कि स्पष्टतया म्याद बाहर होने से काबिल निरस्त है। अपीलाण्टगण द्वारा अपील अपने पिता की सम्पति में हक–अधिकार होने से, अपील न्यायालय में पेश कर अनुतोष चाहा है, जो न्यायोचित है। अपीलाण्ट ने तहसीलदार को भूमिधारी की हैसीयत से ही, पक्षकार संयोजित किया है, जो न्यायोचित है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर तीनों रिव्यू प्रार्थना पत्र आधारहीन एवं म्याद बाहर होने से काबिल निरस्त है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने तथ्यों की ताईद में न्यायिक दृष्टान्त **RRD 1993 page 209, RRD 1994 page 335, RRT 2012(2) page 1119, RRT 2016(1) page 48 & RRD 2002 page 33** पेश किए।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान आद्योपान्त परिशीलन किया गया। अधिवक्तागण प्रार्थीगण द्वारा तीनों पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र न्यायालय की अपील संख्या 40/2014 अनवान सीतादेवी वगैरा बनाम भंवरनाथ वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 17.04.2015 को पुनर्विलोकित कराने हेतु न्यायालय में पेश की है। तीनों प्रार्थना पत्रों के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पाली

अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तीनों ही प्रार्थना पत्र एक ही अपील में पारित निर्णय एवं एक ही आराजी से संबंधित होने के कारण से तीनों पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्रों को समेकित किया जाकर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित होगा। अपील में निर्णय दिनांक 17.04.2015 को पारित किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा पुनरावलोकन (रिव्यू) प्रार्थना पत्र समय–सीमा के पश्चात पेश किया गया है, लेकिन जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाने से पुनरावलोकन (रिव्यू) प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेई देरी को कण्डोन करते हुए प्रार्थना पत्र को उक्त जानकारी से अन्दर म्याद शुमार किया जाता है। राजस्व अपील संख्या 40/2014 में पारित निर्णय दिनांक 17.04.2015 का अवलोकन किया गया, जिससे यह स्पष्ट है कि नामान्तरकरण संख्या 229 दिनांक 31.05.1981 में स्वीकृत किया गया तथा अपील अपीलाण्ट दिनांक 05.12.2014 को पेश की गई, इससे स्पष्ट है कि अपील नामान्तरकरण दर्ज होने के लगभग 33 वर्षो के पश्चात न्यायालय में पेश की गई थी, जो स्पष्टतया म्याद बाहर पेश की गई थी। इस संबंध में विधि एवं प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि किसी भी न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय पारित करने से पूर्व परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के प्रार्थना पत्र को आवश्यक रूप से निर्णित चाहिए था। लेकिन हस्तगत अपील में न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को निर्णित नहीं किया है, जो विधिक त्रुटी होकर स्पष्टतया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। इसके साथ ही जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 229 दिनांक 31.05.1981 में वर्णित आराजी में से खसरा नम्बर 696 व 697 की भूमि प्रार्थिया श्रीमती जितेन्द्र कुमारी एवं राजु पुत्र घीसा कुम्हार ने जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज के क्रय किया है एवं वह बतौर खातेदार दर्ज थी, प्रार्थियां श्रीमती सुशीला ने खसरा नम्बर 798 व 799 की भूमि जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज के क्रय की है एवं श्रीमती शांति ने खसरा नम्बर 792, 793, 794 व 795 की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज के क्रय किया है तथा तीनों प्रार्थीगण अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय में अपील पेश करने की दिनांक को बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज थे। इससे स्पष्ट है कि जैर अपील निर्णय से उनके हक–हकुक प्रभावित होते है तथा जैर अपील निर्णय पारित किए जाने से पूर्व उनको भी सुनवाई का अवसर दिया जाने चाहिए था। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील संख्या 40/2014 अनवान सीतादेवी वगैरा बनाम भंवरनाथ वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 17.04.2015 को रिव्यू किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत तीनों पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत को स्वीकार किये जाते है तथा अपील संख्या 40/2014 अनवान सीतादेवी वगैरा बनाम भंवरनाथ वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 17.04.2015 को Set aside किया जाता है। पत्रावली पुनः मूल नम्बर पर दर्ज रजिस्टर हो, इसके साथ ही प्रार्थिया श्रीमती जितेन्द्र कुमारी, श्रीमती सुशिला एवं शांति को बतौर रेस्पोडेण्ट पक्षकार संयोजित करने के आदेश दिये जाते है। तीनों पत्रावलियों में निर्णय की प्रति बाद हस्ताक्षर कर नत्थी की गई। तीनों पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर मूल अपील संख्या 40/2014 अनवान सीतादेवी बनाम भंवरनाथ के साथ नत्थी हो।

(चन्दभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 02/08/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्दभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली